



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022025-261012
CG-DL-E-14022025-261012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]
No. 54]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 12 फरवरी, 2025

सं. एन-16/5/2021-प्लान.— भारत सरकार के दिनांक 03.02.2022 के संकल्प के क्रम में, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) का कार्यकाल एतद्वारा अगले तीन वर्षों के अवधि अर्थात् 01.04.2025 से 31.03.2028 तक बढ़ाया जाता है।

2. आयोग के विचारार्थ विषय वही रहेंगे जो दिनांक 02.03.2009 के संकल्प सं.17015/17/2008-आरआईसी में यथा अधिसूचित है। यह आयोग हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 31 (1) में यथा उल्लिखित प्रकार्यों का निष्पादन करता रहेगा। इसके शक्ति, प्रक्रियागत मामलों तथा वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान, दिनांक 09.09.2004 के संकल्प सं.17015/17/2008-एससीडी-VI के पैरा 3 तथा 5-7 द्वारा शासित होते रहेंगे और संघटन वही बना रहेगा जो दिनांक 13.07.2018 के संकल्प सं.17015/1/2017-आरआई सैल में अधिसूचित है।

योगिता स्वरूप, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2025

No.N-16/5/2021-PLAN—In continuation of the Government of India Resolution dated 03.02.2022, the term of the National Commission for Safai Karamcharis (NCSK) is hereby extended for a further period of three years i.e. from 01.04.2025 to 31.03.2028.

2. The terms of reference of the Commission will continue to be the same as notified in the Resolution No.17015/17/2008-RIC dated 02.03.2009. The Commission will continue to perform the functions as mentioned in Section 31(1) of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. The provisions regarding its power, procedural matters and Annual Reports will continue to be governed by para 3 and 5-7 of the Resolution No.17015/18/2003-SCD-VI dated 09.09.2004 and composition will continue to be the same as notified in the Resolution No.17015/1/2017-RI Cell dated 13.07.2018.

YOGITA SWAROOP, Senior Economic Advisor